न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 51/2017

अनवान :

1. शिवभगवान पुत्र मामचन्द जाति सुनार निवासी भादरा।
2. मुन्नालाल पुत्र मामचन्द जाति सुनार निवासी भादरा।
3. किशनलाल पुत्र मामचन्द जाति सुनार निवासी भादरा।
4. विनोद पुत्र जयलाल पुत्र मामचन्द जाति सुनार निवासी भादरा तहसील भादरा।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र मामचन्द जाति सुनार निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।
3. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृत किऐ जाने

अन्तर्गत धारा 8(2) राजस्थान जनरल कॉलोनी एक्ट

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग **: प्रार्थीगण**

वकील श्री रामकुमार कस्वां **: अप्रार्थी सं0 1**

निर्णय **दिनांक :** 18-5-18

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि चक 5 बीएचडी के खाता सं0 92/81 के मु0नं0 46 के किला नं0 9/1 की 0.063 है0 किला नं0 10/1 की 0.139 मु0नं0 47 के किला नं0 2/1 की 0.2140 है0 किला नं0 3/2 की 0.078 है0 किला नं0 8/2 की 0.078 है0 किला नं0 9/1 की 0.214 है0 किला नं0 12/1 की 0.214 है0 किला नं0 13/4 की 0.078 है0 किला नं0 18/2 की 0.078 है0, किला नं0 19/1 की 0.214 है0 22/1 की 0.214 है0 किला नं0 23/2 की 0.078 है0 कुल 1.6620 है0 नहरी 1.6370 है0 खाला, 0.025 है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एंव इसी चक के खाता सं0 62/54 के मु0नं0 46 के किला नं0 20 की 0.228 है0 मु0नं0 47 के किला नं0 6 की 0.253 है0 किला नं0 7/1 की 0.123 है0, किला नं0 14/1 की 0.123 है0, किला नं0 15, 16 प्रत्येक की 0.253 है0, किला नं0 17/1 व 24/1 प्रत्येक की 0.123 है0, किला नं0 25 की 0.228 है0 कुल 1.707 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी सं0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार इसी चक के खाता सं0 15/8 के मु0नं0 46 के किला नं0 9/2 की 0.089 है0 किला नं0 10/2 की 0.114 है0 मु0नं0 47 के किला नं0 1 की 0.253 है0 किला नं0

2/2, 9/2 प्रत्येक की 0.039 है0 किला नं0 10, 11 प्रत्येक की 0.253 है0 किला नं0 12/2, 19/2 प्रत्येक की 0.039 है0 किला नं0 20, 21 प्रत्येक की 0.253 है0 किला नं0 22/2 की 0.039 है0 कुल 1.6630 है0 नहरी 1.6380 है0, खाला 0.025 है0 खातेदारी भूमि प्रार्थी सं0 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसी प्रकार इसी चक के खाता सं0 25/21 के मु0नं0 46 के किला नं0 1 व 2 प्रत्येक की 0.1265 है0 3/2 की 0.019 है0 मु0नं0 47 के किला नं0 4/1 की 0.091 है0 5 की 0.1265 है0 प्रार्थी सं0 2 मुन्नालाल की राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी चक के मु0नं0 46 के किला नं0 1 व 2 प्रत्येक की 0.1265 है0, 3/3 की 0.019 है0 मु0नं0 47 के किला नं0 4/3 की 0.0915 है0 किला नं0 5/1 की 0.1265 है0 कुल 0.490 है0 खातेदारी भूमि प्रार्थी विनोद की खातेदारी दर्ज है।

तहसील भादरा के चक 5 बीएचडी के खाता सं0 31/27 के मु0नं0 46 के किला नं0 11 की 0.228 है0, किला नं0 12 की 0.025 है0 मु0नं0 47 के किला नं0 3/1 की 0.175 है0 किला नं0 4/2 की 0.0700 है0 किला नं0 7/2 की 0.1300 है0, किला नं0 8/1 की 0.175 है0 किला नं0 13/1 की 0.127 है0 किला नं0 13/3 की 0.048 है0, किला नं0 14/2 की 0.130 है0 किला नं0 17/2 की 0.130 है0 किला नं0 18/1 की 0.175 है0 किला नं0 23/1 की 0.175 है0 किला नं0 24/2 की 0.130 है0 कुल 1.7180 है0 जिसमें नहरी 1.6930 है0, गैरमु0खाला 0.025 है0 अप्रार्थी धर्मपाल के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

पक्षकारान मुकदमा संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य हुआ करते थे एवं वादगत कृषि भूमि भी संयुक्त हिन्दू परिवार की मुश्तर्का कृषि भूमि थी जिसका पक्षकारान ने दिनांक 15.03.2008 को खाता विभाजन कराने हेतु एक अनुबन्ध पत्र लिखवाकर तहसीलदार भादरा के समक्ष पेश किया। अनुबन्ध पत्र में मु0नं0 46 के किला नं0 9 में से उत्तर से दक्षिण, एवं मु0नं0 46 के किला नं0 11, 12 मु0नं0 47 के किला नं0 12 ता 15 प्रत्येक किला में पूर्व से पश्चिम रास्ता चालू रहेगा जिसकी बाबत हम सभी हिस्सेदार रजामन्द है। इस अमर का अनुबन्ध पत्र मय नक्शा नजरी जिस पर सभी पक्षकारान ने अपने अपने हस्ताक्षर कर तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश किया। श्रीमान् तहसीलदार महोदय द्वारा बाद जांच उक्त विभाजन प्रस्ताव तस्दीक कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव मय अनुबन्ध खाता विभाजन व रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित कर दिये परन्तु पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण दर्ज करते समय खाता विभाजन तो कर दिया परन्तु रास्ते का अंकन दर्ज नहीं किया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ने आपसी सहमति व लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। अप्रार्थी सं0 3 व 4 को बार बार आवाज लगाई गई उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी चक 5 बीएचडी में आवगमन के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता चालू होना बताया है। उक्त रास्ता से आवागमन को लेकर पक्षकारान के मध्य कोई विवाद की स्थित नहीं है एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने बाबत पक्षकारान ने राजीनामा पेश कर अपनी सहमति प्रकट की है एवं अन्य पक्षकारान ने भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन पेश नहीं किया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 8(2) राजस्थान जनरल कॉलोनी एक्ट का मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा चक 5 बीएचडी के मु0नं0 46 के किला नं0 11, 12 व मु0नं0 47 के किला नं0 12 से 15 प्रत्येक किला लाईन के पास–पास पूर्व से पश्चिम किला के उतरी ओर सवा आठ फिट चौडाई में एवं पूरी लम्बाई में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन किया जावे। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (R.A.S)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़